मेसर्स हिम अलॉयज़ एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

परिसमापक का पत्राचार का पताः प्लॉट नंबर 1-4 इंडस्ट्रियल एरिया अंब, एनए,
हिमाचल प्रदेश, भारत, 177203 ईमेल आईडीः cirp.himalloys@gmail.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना

(माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दिल्ली बेंच द्वारा 22–01–2026 को पारित आदेश)

एतदद्वारा आम जनता को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 और उसके तहत नियमों के अनुसार सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में बताई गई संपत्तियों को ऑनलाइन ई–नीलामी सेवा प्रदाता 'E-BKray लिस्टिंग और ऑक्शन पोर्टल'' (https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi) के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को ''जैसा है, जहाँ है'' ''जो कुछ भी है''और ''बिना किसी रिकॉर्स के आधार पर'' ई–नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और यह बिक्री बिना किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के किया जाएगा।

1	**नीलामी की तारीख और समय**	**03.11.2026, दोपहर 02.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच, ''5 मिनट'' के अनलिमिटेड एक्सटेंशन के साथ, यानी अगर ऑक्शन खत्म होने से पहले आखिरी 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो ई–ऑक्शन का एंड टाइम हर बार 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।**		
2	**दस्तावेज और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि**	**01.11.2026 को शाम 05.00 बजे से पहले।**		
3.	**नीलामी के तहत संपत्तियों/ ब्लॉक का विवरण**	**आरक्षित मूल्य (भा रु.)**	**ईएमडी (भा.रु.)**	**बिड इंक्रीमेंटल वैल्यू ((भा.रु.)**
ए	गाँव–अम्ब(एएमबी) और कुथेरा, तहसील–अम्ब, ज़िला– ऊना, 177203, हिमाचल प्रदेश में स्थित इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी नंबर 1 से 4, **एसेट आईडी : 3958**	4,45,47,000/–	44,54,700/–	1,00,000/–
4	**ईएमडी भुगतान के लिए बैंक की जानकारी**	संभावित बोली लगाने वालों को **https://ibbi.baanknet.com/portal** पर अपने ई–वॉलेट अकाउंट के जरिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) जमा करना होगा। नीलामी के सफल समापन पर, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले की ईएमडी राशि '' **हिम अलॉयज़ एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड इन लिक्विडेशन''** के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, अकाउंट नंबरः 120039607712, बैंक का नामः केनरा बैंक ,ब्रांचः दिल्ली, लाजपत नगर, IFSC: CNRB0000341		
5	**साइट विजिट और निरीक्षण की जानकारी**	साइट पर 01 नवंबर, 2026 तक सुबह **10.00 बजे से शाम 5.00** बजे के बीच विजिट किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम 48 घंटे पहले सूचना दी जाए। संपर्क करें: 9654307800		
6	**विस्तृत प्रक्रिया और समय–सीमा की जानकारी ई–ऑक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट में दी गई है**	https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi पर उपलब्ध पूरी ई–नीलामी प्रक्रिया मेमोरेंडम देखें।		

ई–नीलामी के विवरण के लिए, मोबाइल नंबरः+(91) 82912 20220, 022–69029800, ई–मेल आईडी : psba@psballiance.com, support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें।

नोटः

1. इच्छुक बोली लगाने वालों को ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में बताई गई शर्तों और नियमों को अनिवार्य रूप से पढ़ने और उनसे सहमत होने के बाद ही भाग लेना चाहिए और उसी के अनुसार ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में बताए गए तरीके से अपनी रुचि जमा करनी चाहिए।
2. परिसमापनक के पास किसी भी या सभी ऑफर को स्वीकार या अस्वीकार करने, या ई–नीलामी को स्थगित/टालने/रद्द करने/बदलने/समाप्त करने, या नीलामी की प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी संपत्ति को नीलामी से हटाने का पूरा अधिकार है, और इसके लिए उन्हें कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है।
3. संभावित बोलीदाताओं को एक अंडरटेकिंग (वचन–पत्र) देना होगा कि वे कोड की धारा 29। के तहत (जहाँ लागू हो) किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं हैं और यदि किसी भी चरण में उन्हें अयोग्य पाया जाता है, तो जमा की गई अर्नेस्ट मनी (बयाना राशि) जब्त कर ली जाएगी।
4. सफल नीलामी बोलीदाता को परिसमापनक द्वारा ''लेटर ऑफ इंटेंट'' (एलओआई) जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिक्री की बाकी रकम का भुगतान करना होगा। 30(तीस) दिनों के बाद लेकिन एलओआई जारी होने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। यदि ''लेटर ऑफ इंटेंट'' जारी होने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर बिक्री की बाकी रकम प्राप्त नहीं होती है, तो बिक्री रद्द मानी जाएगी।

हस्ता./–
राजेश श्रीवास्तव,
हिम अलॉयज़ एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक
रजिस्ट्रेशन नं. IBBI/IPA-001/IP-P-01998/2020-21/13138
ईमेल आईडी : cirp.himalloys@gmail.com

दिनांक : 10 अक्टूबर 2026
स्थानः नोएडा

ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
1. श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (ऋणी) पुत्र श्री अजय कुमार सिंह, 2. श्री सूर्य प्रकाश (सह–ऋणी) पुत्र श्री अजय कुमार दोनों का पताः 1. पहाड़ी, घरावासापुर, कोलना निकट पंचायत भवन, मिर्जापुर–231304, पताः 2. ग्राम पथरौरा, परगपा चुनार, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर–231304, 3. श्री अजय कुमार सिंह (सह–ऋणी) पुत्र श्री कृपा राम सिंह पताः पहाड़ी, घरावासापुर, कोलना निकट पंचायत भवन, मिर्जापुर–231304	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित खाता नं0 00083, खसरा नं0 582, ग्राम पथरौरा, परगपा चुनार, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर, एरियाः 378 वर्ग मी. (252 वर्ग मी. + 126 वर्ग मी.), सम्पत्ति श्री चन्द्र प्रकाश सिंह एवं श्री सूर्य प्रकाश सिंह के नाम, **चौहद्दीः सेल डीड 9820 के अनुसार**–पूरब– प्रस्तावित 15 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, पश्चिम– प्रदीप कुमार सिंह की भूमि, उत्तर– प्रस्तावित 12 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिण– संतोष कुमार मौर्य की भूमि, **चौहद्दीः सेल डीड 6164 के अनुसार**–पूरब– सूर्य प्रकाश सिंह एवं अन्य की भूमि, पश्चिम– महिमा देवी की भूमि, उत्तर– प्रस्तावित 12 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिण– संतोष कुमार मौर्य की भूमि।	**रू0 6257960.69 रू0 27843.00 दि. 21.05.2026 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे** 01.06.2026 07.10.2026

दिनांकः 07.10.2026 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

केनरा बैंक Canara Bank

A Government of India Undertaking

रिकवरी और कानूनी अनुभाग, मध्य दिल्ली

6वीं मंजिल, 38 अंसल टॉवर, नेहरू प्लेस, दिल्ली–110019

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत सूचना जारी की जाती है।

केनरा बैंक, से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित /स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नही हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो बैंक/सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर बताए गए आपके दायित्व का निर्वहन न करने की स्थिति में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिए गए किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	शाखा का नाम कर्जदार/गारन्टर के नाम एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण	शीर्षक धारक का नाम
1	**शाखाः केनरा बैंक वसुंधरा एन्क्लेव शाखा, दिल्ली (डीपी कोड– 2824)** **1. मैसर्स हरप्रीत कलर विजन प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता)** निदेशक – हरिंदर सिंह मल्होत्रा जी–10, बिल्डिंग नंबर 10, कीर्ति नगर एक्सटेंशन, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली – 110046। **2. स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह मल्होत्रा के सभी कानूनी वारिस (निदेशक)** मकान नंबर बी–5, नोएडा ईस्ट, दिल्ली, दिल्ली – 201301। **3. श्री हरप्रीत सिंह (गारंटर)** डी–3/13, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110032। **4. श्रीमती मनजीत कौर (अतिरिक्त निदेशक) पत्नी स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह मल्होत्रा,** डी–3/13, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110032 **5. स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह मल्होत्रा के सभी कानूनी वारिस (बंधककर्ता) एवं श्री हरप्रीत सिंह** संपत्ति संख्या 6, संपूर्ण द्वितीय तल, राम नगर कॉलोनी का लेआउट प्लान, कृष्णा नगर, ग्राम खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली – 110051।	07.10.2026 ₹ 1,28,06,940.40 (एक करोड़ अट्ठाईस लाख छह हजार नौ सौ चालीस रुपये और चालीस पैसे मात्र) साथ ही भविष्य का ब्याज और आकस्मिक व्यय एवं लागतें।	अचल संपत्ति संख्या 6, माप क्षेत्रफल 148.8 वर्ग गज (यानी 124.40 वर्ग मीटर), उस पर बने पूरे निर्माण ढांचे के साथ, राम नगर कॉलोनी का लेआउट प्लान, कृष्णा नगर, गांव खुरेजी खास का क्षेत्र, इलाका शाहदरा, दिल्ली – 110051 मूल्यांकन के अनुसार सीमाएं: उत्तर: अन्य की संपत्ति दक्षिण: 24 फीट चौड़ी सड़क पूर्व : अन्य की संपत्ति प्लॉट संख्या 7 पश्चिम: अन्य की संपत्ति संपत्ति आईडी – 200095352453 सुरक्षा हित आईडी– 400093153786	श्री हरिंदर सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री गुरु चरण सिंह मल्होत्रा और श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री पृथी पाल सिंह
	ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथि: 06.10.2026		2. स्टॉक और बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक संपत्ति आईडी – 200095369892 सुरक्षा हित आईडी– 400093170082	मैसर्स हरप्रीत कलर विजन प्राइवेट लिमिटेड

उक्त वर्णित उधारकर्ता/ गारंटरों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 08.10.2026, स्थान : नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

कब्जा सूचना

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, एआरसीआईएल-2026-015 (एआरसीआईएल) के न्यासी के रूप में कार्यरत के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (''उक्त अधिनियम'') के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''उक्त नियम'') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं), गारंटरों और बंधकधारकों से राशि चुकाने का आह्वान किया गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओ) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को ''जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर'' नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि और रशि	संपत्ति का विवरणः	कब्जा सूचना की तिथि
श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह श्री दीपक कुमार सिंह श्री दीपक कुमार सिंह श्री मलखान सिंह श्री मलखान सिंह श्रीमती त्रिवेणी देवी (प्रॉस्पेक्ट संख्या 867528)	06.01.2026, रु. 1709036.87 (रु. सत्रह लाख नौ हजार छत्तीस रुपये और सत्तासी पैसे)	संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट संख्या एस.एस.–1/311 पर निर्मित मकान, रुचि खंड–1, शारदा नगर योजना, रायबरेली रोड, तहसील एवं जिला लखनऊ, 226001 में स्थित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल 322	07/10/2026
श्री नगेंद्र कुमार प्रजापति सुश्री माया देवी श्री शैलेंद्र कुमार श्री सुंदर लाल (प्रॉस्पेक्ट संख्या 927296)	06.01.2026, रु. 773193.99 (रु. सात लाख तिहत्तर हजार एक सौ तिरानवे रुपये और निन्यानवे पैसे)	संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा संख्या 1464 पर प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 104.36 वर्ग गज अथवा 87.25 वर्ग मीटर नौबस्ता (पश्चिम), तहसील कानपुर सदर, कानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, 208025 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 939	06-10-2026
श्री सतीश कुमार श्रीमती सुषमा रावत बालाजी गारमेंट्स जॉब वर्क (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10131325)	06.01.2026, रु. 716326.43 (रु. सात लाख सोलह हजार तीन सौ छब्बीस रुपये और तैंतालीस पैसे)	संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि निजी प्लॉट संख्या 01, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, आराजी संख्या 392ख, प्रतापपुर हरि, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, 208022 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफलः 900	06-10-2026
श्री राजा खान श्रीमती सविया राजा खान समोसा कॉर्नर एंड किराना स्टोर राजा खान टेलर (प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10961859)	05.01.2026, रु. 643529.41 (रु. छह लाख तैंतालीस हजार पांच सौ उनतीस रुपये और इकतालीस पैसे)	संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट क्षेत्रफल 616 वर्ग फुट, खसरा संख्या 315मि. का भाग, वार्ड–गढ़ी दरवाजा, खैराबाद, लालियापुर, मियां सराय, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, 261131 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 616.00, 612.00	07-10-2026

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा।

उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः लखनऊ **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 10.10.2026 **एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के क्षमता से)**

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड CIN: U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in;
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई–400028. फोन : +91 2266581300

पंजाब नैशनल बैंक

...भरोसे का प्रतीक !

सर्किल कार्यालय : ARMB शाखा, रामगंगा विहार, निकट सैल टैक्स, मुरादाबाद (यू.पी.)
EMAIL: cs8281@pnb.co.in

ई–नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना, आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक पड़ी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक / प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को सम्बन्धित कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) से बैंक प्रतिभूत लेनदार के पास उनके बकायों की वसूली हेतु, निम्नांकित सारणी के अंकितानुसार तिथि को **"जैसी है जहां है", "जो भी है वही है"** आधार पर बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि, सम्बन्धित सम्पत्तियों के समक्ष निम्न सारणी में अंकितानुसार होगी।

ई–नीलामी की तिथि एवं समय– 27.10.2026 प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक एवं शाखाः ARMB (828100), मुरादाबाद

क्र. सं.	कर्जदार/बंधककर्ता/ गारंटर का नाम	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति स्वामी का नाम	सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधी न मांग सूचना की तिथि सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि कब्जे की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रूपये में) ईएमडी (रूपये में) बोली वृद्धि राशि	QR कोड
1	**मैसर्स चौधरी मोटर्स (ऋणी) फर्म श्री खलील पुत्र श्री शरीफ अहमद (भागीदार एवं बंधककर्ता) श्री मोहम्मद उस्मान अली पुत्र श्री शरीफ अहमद (भागीदार एवं बंधककर्ता) श्रीमती शायामा पत्नी श्री खलील खान (गारंटर एवं बंधककर्ता)**	साम्यिक संपत्ति स्थित है फ्लैट संख्या बी–69, द्वितीय तल, बिना छत अधिकार, तीन–मंजिला डीडीए फ्लैट/भवन, ब्लॉक बी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, दिल्ली–32, जिसका क्षेत्रफल 65.00 वर्ग मीटर (नामित है श्रीमती शायमा पत्नी श्री खलील खान के नाम) पंजीकृत है संख्याः 2332, बही संख्याः 1, वॉल्यूम संख्या 2,402, पृष्ठ संख्याः 86–94, दिनांक 27.05.2017, सब–रजिस्ट्रार–IVA, शाहदरा, नई दिल्ली/दिल्ली **चौहद्दीः पूर्व** : संपत्ति संख्या बी–70, **पश्चिम** : अन्य संपत्ति, **उत्तर** : अन्य संपत्ति, **दक्षिण** : प्रवेश मार्ग।	10.10.2024 रू. 76,52,252/- + ब्याज और अन्य शुल्क, 10.10.2024 से प्रभावी सांकेतिक कब्जा	(A) रू. 36,48,000/- (B) रू. 3,64,800/- (C) रू. 50,000/- सम्पत्ति ID संख्याः PUNBMBD2230	

कृपया सरफेसी अधिनियम–2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों का वैधानिक नोटिस पढ़ें। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि– ई–नीलामी से पूर्व

ई–नीलामी **"जहां है जैसा है"** और **"जो है जैसा है"** के आधार पर की जा रही है और इसे "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। नीलामी बैंक के अनुमोदित वेब पोर्टल, **https://baanknet.com/, ssupport.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी वेब पोर्टल जिसमें ऑनलाइन ई–नीलामी, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं **https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** पर उपलब्ध हैं। अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों का शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकार/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। बैंक की प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के दावे/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई–नीलामी की अन्य नियम और शर्तें **https://baanknet.com/, support.baanknet@psballiance.com Contact No. +91 8291220220** पर प्रकाशित हैं। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली/बिक्री राशि का **25% संबंधित ईएमडी खाता** में तुरंत जमा करना होगा, बयाना राशि उसी **25%** के प्रतिकुल समायोजित की जाएगी। यदि निर्धारित समय के भीतर 25: राशि जमा नहीं की जाती है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। सफल प्रतिभागी को बिक्री की पुष्टि की तारीख से **15 दिन** के भीतर शेष **75%** राशि जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर **75%** राशि जमा नहीं की जाती है, तो **25%** भी जब्त कर ली जाएगी और प्रतिभागी का संपत्ति पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें **मण्डल कार्यालय, श्री अनिल कुमार : +91 9674156363, श्री अरविन्द सिंह +91 9528411891**

दिनांकः 10.10.2026 स्थान : दिल्ली, मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी– पंजाब नैशनल बैंक

जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

J&K Bank

अमीन कॉम्प्लेक्स, अकबरी गेट, लखनऊ
ईमेलः– luknow@jkbmail.com

कब्जा सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के तहत सूचना, सुरक्षा (प्रवर्तन) हित नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित।

जबकि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन (**SARFAESI**) एक्ट, 2002द के तहत और उक्त एक्ट की धारा 13(12) के साथ 'सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002' के नियम 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, 25–05–2026 को एक डिमांड नोटिस जारी किया। इसके जरिए उधारकर्ता, यानी मेसर्स श्री रसिक बिहारी सेवा ट्रस्ट (रजिस्टर्ड ऑफिसः प्लॉट नंबर 783, गांव सुरसंडा, नवाबगंज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश) और इसके ट्रस्टियों को बुलाया गया।

ए) अमित शुक्ला, पिता सीता राम शुक्ला (ट्रस्टी, गारंटर और बन्धककर्ता)
इ) अतुल शुक्ला, पिता सीता राम शुक्ला (ट्रस्टी, गारंटर और बन्धककर्ता)
ब) रश्मि शुक्ला, पत्नी अमित शुक्ला (ट्रस्टी, गारंटर और बन्धककर्ता)
क) ज्वेल शुक्ला, पत्नी अतुल शुक्ला (ट्रस्टी, गारंटर और बन्धककर्ता)

स्थायी पताः 16/01810, रसिक निवास मंदिर, रामघाट, फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के सभी निवासीय वर्तमान पताः केएच–4 99/98/15 विजय नगर, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सभी निवासीय आप सभी को सूचित किया जाता है कि उधारकर्ता के खाते में 31–03–2026 तक बकाया राशि रुपये 2,39,90,695.95 (दो करोड़ उनतालीस लाख नब्बे हजार छह सौ पचानवे रुपये और पचानवे पैसे) का भुगतान, इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर, भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों सहित करें।

उक्त उधारकर्ता उक्त राशि को चुकाने में विफल रहा है, इसके द्वारा उक्त उधारकर्ता को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में उक्त नियमों के नियम 13 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 4 (8) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित बंधक संपत्ति पर अक्टूबर 08 2026 को कब्जा कर लिया है, ।

उक्त उधारकर्ता विशेष रूप से और सामान्य रूप से सार्वजनिक रूप से उक्त संपत्ति से किसी भी तरह से निपटने के खिलाफ आगाह किया जाता है और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार जे एंड के बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जो कुल राशि के लिए 2,52,44,029.81 रुपये (केवल दो करोड़ बावन लाख चवालीस हजार उनतीस रुपये और इक्यासी पैसे) के साथ–साथ 01.10.2026 से भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्क के साथ होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

1. गाँव सुरसंडा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी यूपी 225001 में प्लॉट नंबर 783 माप 0.157 हेक्टेयर पर बनने वाली तीन मंजिला कॉलेज बिल्डिंग का साम्यिक बंधक।
2. खड़गपुर, लखनऊ यूपी 226010 में स्थित रिहायशी घर हाउस नंबर केएच 4/99/15, प्लॉट नंबर 15, खसरा नंबर 206–पार्ट, माप 116.71 वर्ग मीटर पर चार्ज का विस्तार, यह घर रश्मि शुक्ला पत्नी अमित शुक्ला का है।
3. खड़गपुर परगना, तहसील और जिला लखनऊ यूपी 226010 में स्थित एक मंजिला रिहायशी घर (हाउस नंबर केएच 4/99/14, प्लॉट नंबर 14, खसरा नंबर 206–पार्ट, माप 116.71 वर्ग मीटर पर चार्ज का विस्तार, यह घर श्री अतुल शुक्ला पुत्र सीता राम शुक्ला का है।
4. गाँव सुरसंडा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी यूपी 225001 में प्लॉट/गाटा नंबर 783 माप 0.157 हेक्टेयर और उस पर बनी या बनने वाली सभी संरचनाओं पर चार्ज का विस्तारय यह प्रॉपर्टी रसिक बिहारी सेवा ट्रस्ट की है।
5. गाँव सुरसंडा, परगना, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी यूपी 225001 में स्थित प्लॉट/गाटा नंबर 759 माप 0.32 हेक्टेयर का साम्यिक बंधक यह जमीन श्री रसिक बिहारी सेवा ट्रस्ट की है।

दिनांकः08.10.2026 **ओमर फारूक**
स्थानः लखनऊ **अधिकृत अधिकारी**

पंजीकृत कार्यालय कॉर्पोरेट मुख्यालय एमए रोड, श्रीनगर 190001 कश्मीर, भारत
टी.+91 (0)194 2481 930–35 एफ +91 (0)194 248 1928
सीआईएनः L65110JK1938SGC000048
ई info@jkbmail.com डब्ल्यू www.jkbank.net

Bank of India

Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : दिल्ली एनसीआर जोन
# बत्रा हाउस, प्लॉट नंबर 52, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
गुरूग्राम–122003, हरियाणा
फोन : 0124–2388404/2388409

ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

चल सम्पत्तियों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) के परंतुक और अचल सम्पत्तियों के लिए नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित निम्नवर्णित चल/अचल सम्पत्ति(यां), जिसका/जिनका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा प्रत्याभूत लेनदार के रूप में बैंक ऑफ इंडिया की निम्नवर्णित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, संबंधित कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) की तरफ बैंक/प्रत्याभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए **12.11.2026** को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "जो भी है वहां है" तथा "कोई उपाय नहीं" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा नीचे तालिका में संबंधित खाते/सम्पत्ति के सामने वर्णित की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बिक्री वेब पोर्टल **https://baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि मांग सूचना की तिथि कब्जा सूचना की तिथि	सुरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय
	बल्लबगढ़ शाखाः– आकाश सिनेमा कॉम्प्लेक्स, मोहन रोड, तहसील बल्लबगढ़, जिला फरीदाबाद **ईमेल– ballabgarh.delhincr@bankofindia.bank.in मो. 9675385495** **आईएफएससी कोड़ – BKID0006702, खाता सं. : 670290200000033, खाते का नाम : इंटरमिडियरी इनवार्ड आउटवार्ड रेमिटेंस अकाउंट**				
1	**उधारकर्ता/बंधककर्ताः** **उधारकर्ता – श्री समीर,** निवासी – मकान नं. क्–25, वार्ड नं. 5, अलीगढ़ रोड, अंबेडकर पार्क के पास, न्यू बस्ती बल्लभगढ़, पलवल, हरियाणा – 121102 **गारंटर – श्रीमती मीना,** निवासी – मकान नं. DE–25, वार्ड नं. 5, अलीगढ़ रोड, अंबेडकर पार्क के पास, न्यू बस्ती बल्लभगढ़, पलवल, हरियाणा – 121102	**आवासीय संपत्ती का समस्त भाग एवं अंश, प्लॉट नं. 794, EWS ब्लॉक, प्रॉपर्टी आईडी नं. 3PWGWDO3, आवासीय कॉलोनी ओमैक्स सिटी, पलवल, जो ग्राम पलवल एवं धौलागढ़, सेक्टर–11 एवं 14 के राजस्व क्षेत्र, तहसील एवं जिला पलवल में स्थित है, जो श्री समीर के स्वामित्व एवं कब्जे में है, बिक्री विलेख संख्या 13410 दिनांक 14.02.2025 के अनुसार, क्षेत्रफल 59.80 वर्ग गज।** **चौहद्दीः** **पूर्व : प्लॉट नं. 793 पश्चिमः प्लॉट नं. 795** **उत्तरः सड़क दक्षिणः अन्य प्लॉट**	रु. 27,12,510.42 + ब्याज 07.04.2026 से लागू 11-04-2026 सांकेतिक कब्जा दिनांकित 29.07.2026	रु. 41.34 लाख रु. 4,13,400/- रु. 10,000/-	12.11.2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अपां. 05.00 बजे

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. बिक्री "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है आधार", "जो भी है वहां है आधार" तथा "कोई उपाय नहीं आधार" पर की जाएगी तथा ई–नीलामी पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी।

2. ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें वेबसाइट (क) https://www.bankofindia.co.in, **(ख)** https://baanknet.com **में उपलब्ध हैं। बोलीदाता https://baanknet.com देखें जिसमें बोलीदाताओ के लिए "दिशानिर्देश" शिक्षा–वीडियोज के साथ उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पर्याप्त अग्रिम में पूरी करनी होंगी :**

स्टेप 1. बोलीदाता/क्रेता पंजीकरण : बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर तथा ई–मेल आईडी का उपयोग करते हुए ई–नीलामी प्लेटफार्म (लिंक ऊपर दिया गया है) पर पंजीकरण करवाना होगा।

स्टेप 2. ईएमडी राशि का बिडर ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में अंतरण : निधियों का ऑनलाइन/ऑफलाइन अंतरण, एनईएफटी/अंतरण विधि का प्रयोग करते हुए, ई–नीलामी प्लेटफार्म पर जनित चालान का प्रयोग करते हुए।

स्टेप 3 : बोलीदाता प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता स्टेप 1 तथा 2 पूरा करने के बाद ई–नीलामी प्लेटफार्म पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।

3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया तथा सम्पत्ति के स्वामित्व, ऋणभारों इत्यादि के संबंध में स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ऐसा करता माना जाएगा। सम्पत्ति सभी ज्ञात एवं अज्ञात वर्तमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकार/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री के लिए प्रस्तुत सम्पत्ति के संबंध में ऑनलाइन बोली देने के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

4. ऑनलाईन ई–नीलामी की तिथि 12.11.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे के बीच होगी

5. ईएमडी और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 12.11.2026 शाम 5:00 बजे तक।

6. निरीक्षण की तिथि 10.11.2026 को या उससे पहले दोपहर 1.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच होगी । उपयुक्त शाखा में पुर्वअनुमति के साथ।

7. बोली केवल ऑनलाइन विधि से प्रस्तुत की जाएगी।

8. बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य से अधिक प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोलीदाता अपनी बोली उपरिवर्णितानुसार गुणजों में बढ़ा सकते हैं।

9. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली देने तथा ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए वेबसाइट देखें।

10. यह माना जाएगा कि बोलीदाता बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ चुके हैं और उनसे बाध्य होंगे।

11. अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति का निरीक्षण करने और अपनी संतुष्टि करने की जिम्मेदारी स्वयं इच्छुक बोलीदाताओं की होगी।

12. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

13. धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि (पहले जमा की जा चुकी ईएमडी सहित) नीलामी उसके पक्ष में छूटते ही तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करनी होगी तथा शेष राशि बिक्री की तिथि से 15वें दिन को या पहले जमा करनी होगी। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। यदि सफल बोलीदाता क्रय मूल्य की अदायगी निर्धारित अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की जा चुकी पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की नीलामी दोबारा की जाएगी। चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति/राशि के संबंध में सभी दावे जब्त माने जाएंगे।

14. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक अथवा ई–नीलामी सेवा प्रदाता किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या/बिजली फेल होने/किसी अन्य तकनीकी गड़बड़ी/विफलता इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से ई–नीलामी आयोजन में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पर्याप्त पावर बैक इत्यादि सहित तकनीकी दृष्टि से समुचित तैयारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

15. क्रेता को लागू स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/नीलामी मूल्य पर टीडीएस/अन्य प्रभार इत्यादि, अन्य प्रभार, तथा किसी निकाय को देय सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक देयताएं, कर, आकलन प्रभार आदि वहन करने होंगे।

16. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा उसका, अपने विवेकानुसार बिना कोई कारण बताए, कोई भी या सभी बोलियां अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी निश्चित अथवा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने/निरस्त करने, सम्पत्ति या उसका कोई भाग नीलामी से वापस लेने अथवा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

17. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता(ओं)/आवेदक(कों) के नाम में जारी किया जाएगा तथा किसी भी अन्य नाम(मों) को जारी नहीं किया जाएगा।

18. बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। बिक्री के नियमों/शर्तों के संबंध में इसके अतिरिक्त विवरण/पूछताछ यदि कोई है, संबंधित शाखाओं से, उनके दिए गए सम्पर्क नंबरों पर, की जा सकती है।

19. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः https://www.bankofindia.co.in / https://baanknet.com **में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के तहत
कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को वैधानिक 15 दिन की वैधानिक ब्रिक्री सूचना

अधोहस्ताक्षरी को, बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और तदधीन विरचित नियमों के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा बिक्री की यह सूचना जारी करने हेतु पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आपने बैंक द्वारा मंजूर की गई उपरिवर्णित अग्रिम राशियों के संबंध में बकाया राशि, मासिक अंतराल पर ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि चुकाने में चूक की है। अतएव बैंक द्वारा धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है तथा उपरिवर्णित राशि का भुगतान 60 दिन के भीतर करने की मांग की है। आप 60 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहे हैं। अतएव, प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर तालिका में वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। एतदद्वारा आपको सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णितानुसार राशि का भुगतान बिक्री हेतु निर्धारित तिथि से पहले कर दें, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई राशि बकाया रह जाएगी, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। कृपया नोट करें कि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से सबसे पहले मांग सूचना जारी करने, कब्जा लेने, आस्तियों के मूल्यांकन तथा बिक्री से संबंधित सभी खर्चे काटे जाएंगे और शेष राशि आपकी देयता में समायोजित की जाएगी। आप धरोहर राशि जमा करने सहित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए नीलामी में भाग लेने हेतु स्वतंत्र हैं।

दिनांकः **09.10.2026** स्थान : दिल्ली/एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी